

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 400 / 17

संस्थापन दिनांक:-18 / 12 / 17

फायलिंग नं. 1048 / 2017

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

रामाधार पिता स्व. भिकारी कवड़े
 उम्र 33 वर्ष, निवासी किल्लौद,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 25.01.2018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 498(ए) भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 09.12.2017 को सुबह करीब 09:00 बजे, थाना आमला से 20 किमी पश्चिम में फरियादी रीनाबाई का घर ग्राम किल्लौद आमला में फरियादी रीनाबाई के पति होते हुए उसके प्रति क्रूरता कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी ने दिनांक 09.02.2017 को सुबह 9 बजे अपने पति से रोटी बनाने खाने की बात पर से बोला कि आटा नहीं है तो अभियुक्त ने उसे लकड़ी से सिर पर तथा हाथ थप्पड़ लात से मारा जिससे उसे सिर पर बांये कान पर तथा चेहरे पर चोट आयी। अभियुक्त उसे हमेशा घरेलू बातों को लेकर मारपीट कर प्रताड़ित करता है। अभियुक्त ने उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना आमला में अपराध क्र. 624 / 17 पंजीबद्ध किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया गया। फरियादी से एक फोटो ग्राफ एवं अभियुक्त से एक बांस की लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक बनाये गये। अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थिति बाबत सूचना पत्र जारी किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 323, 506 भाग-दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 498(ए) भा०दं०सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 09.12.2017 को सुबह करीब 09:00 बजे, थाना आमला से 20 किमी पश्चिम में फरियादी रीनाबाई का घर ग्राम किल्लौद आमला में फरियादी रीनाबाई के पति होते हुए उसके प्रति क्रूरता कारित की ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

6 रीनाबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि अभियुक्त रामाधार उसका पति है। उसका अपने पति/अभियुक्त से घरेलू बात को लेकर विवाद हो गया था तथा वाद विवाद में गिरने से उसे चोट आ गयी थी जिससे गुस्से में आकर उसने अपने पति के विरुद्ध (प्रदर्श पी-1) की रिपोर्ट लिखवा दी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि पुलिस ने घटना का नक्शा मौका (प्रदर्श पी-2) तैयार किया था। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित भी किया है।

7 साक्षी रीनाबाई (अ.सा.-1) द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त ने दिनांक 09.02. 2017 को उसके साथ हाथ थप्पड़ से मारपीट की थी तथा अभियुक्त उसके साथ हमेशा घरेलू बात को लेकर मारपीट करता था एवं उसे प्रताड़ित करता था। स्वतः में साक्षी ने व्यक्त किया है कि घरेलू बात को लेकर छोटा सा विवाद हुआ था जिसमें गिरने से मुझे चोट आयी थी। इसके अतिरिक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में भी इस सुझाव को सही बताया है कि उसका अभियुक्त से घरेलू बात को लेकर वाद विवाद हो गया था जिसकी शिकायत उसने थाना आमला में की थी तथा वाद विवाद में धक्का लगने

से गिरने से उसे चोट आयी थी। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त उसे हमेशा घरेलू बातों को लेकर मारपीट कर प्रताड़ित करता था। साक्षी ने अभियुक्त द्वारा उसके साथ कूरता कारित किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ कूरता कारित की गयी हो। निष्कर्षतः अभियुक्त रामाधार को धारा 498-ए भा0दं0सं0 के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

8 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

9 प्रकरण में जप्त एक बांस की लकड़ी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

10 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)